# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **92/21 (प्रा0पत्र)**

**GCMS No. : 2021/301**

**अनवान्**

1. श्री हरिसिंह पिता अर्जुनसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।
2. श्री भरतसिंह पिता अर्जुनसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।
3. श्रीमती अर्चना पुत्री अर्जुनसिंह राव निवासी आसोलियो की मादडी तह. मावली।
4. श्रीमती रूकमण पत्नी अर्जुनसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अर्जुनसिंह मुतबन्ना गुलाबसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।
2. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी गुलाबसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) मावली तह. मावली।
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, मावली तह. मावली।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एस.बी.आई) शाखा नाहरमगरा तह. मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री कल्याणसिंह राव, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक :– 13.09.2022**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा आसोलियों की मादडी पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 1254/470, 141, 142, 146, 147, 474, 477 किता 7 रकबा 2.5091 हेक्टेयर उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी सं. 2 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का हक स्वत्व अधिकार होकर उक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि तत्कालीन समय में विपक्षी सं. 2 के पति गुलाबसिंह एवं गुलाबसिंह के अन्य भाईयों देवीसिंह, वक्तावरसिंह, मानसिंह के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, गुलाबसिंह का देहान्त हो चुका है, उक्त कृषि भूमि का स्वर्गीय गुलाबसिंह के जीवनकाल अर्थात् तत्कालीन समय में खातेदारान के मध्य विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:21 IST
Reason: SelfAttested

रूप से विभाजन हो गया, उक्त कृषि भूमि गुलाबसिंह की मृत्यु उपरान्त विरासत से विपक्षी सं. 2 के नाम स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज चली आ रही हो वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि विपक्षी सं. 2 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज हैं।

3. यह कि मूल पुरूष स्व. गुलाबसिंह का देहावसान तत्कालीन समय में अर्थात् वर्ष 2002 के लगभग हो गया, विपक्षी सं. 2 जो स्व. गुलाबसिंह की विधवा पत्नी है, गुलाबसिंह के जीवनकाल में विपक्षी सं. 2 के कोई जायन्दा सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, स्व. गुलाबसिंह की वर्ष 2002 के पूर्व से ही यह मंशा थी कि गोद पुत्र लिया जाए, जिस पर स्व. गुलाबसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में पुत्र गोद लेने का निश्चय कर लिया गया व पुत्र गोद लेने का निश्चय करते हुए स्व. गुलाबसिंह द्वारा अपने भाई वगतावरसिंह उर्फ वक्तावरसिंह पिता गिरधारीसिंह राव के बडे पुत्र अर्जुनसिंह को उसकी बाल्यावस्था में गोद देने हेतु निवेदन किया, जिस पर स्व. वगतावरसिंह उर्फ वक्तावरसिंह द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से अपने बडे पुत्र अर्जुनसिंह को सामाजिक रिति रिवाजानुसार गोद की सभी रस्मों को पूर्ण करते हुए गोद दिया व लिया गया, स्व. गुलाबसिंह जी का वृद्वावस्था में उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहने से गोद नामा का पंजीयन नहीं करवा सके व गुलाबसिंह का देहावसान हो गया। गुलाबसिंह की मृत्यु उपरान्त दत्तक पुत्र के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सामाजिक कार्यक्रम भी विपक्षी सं. 1 द्वारा ही सम्पन्न किये गए एवं स्व. गुलाबसिंह के जीवनकाल में उनकी व आज तक विपक्षी सं. 2 की सेवा, सुश्रुषा, देखभाल, भरण पोषण, ईलाज खर्च भी विपक्षी सं. 1 द्वारा ही किया जा रहा हैं। विपक्षी सं. 2 द्वारा अपने स्व. पति की मंशा व विपक्ष्झी सं. 2 द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से दिनांक 27.08.2004 को गोदनामा पंजीयन उपरान्त विपक्षी सं. 1 जो हम प्रार्थीगण के पिता/पति है कानूनन स्व. गुलाबसिंह का मुतबन्ना (दत्तक पुत्र) कहलाया। वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी सं. 2 के नाम अंकित कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 का स्व. गुलाबसिंह का दत्तक पुत्र होने की हैसियत से उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 व 2 का समान हक हिस्सा होकर मालिक स्वामी है, अर्थात् विपक्षी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण विपक्षीगण सं. 1 के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण हैं, विपक्षी सं. 1 स्व. गुलाबसिंह का दत्तक पुत्र (गोदपुत्र) विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने से विपक्षी सं. 1 के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से प्रार्थीगण का विपक्षी सं. 1 के हक हिस्से की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में हक स्वत्व अधिकार होकर हिस्सा है, अर्थात् प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/10 हिस्सा होकर प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:21 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रार्थीगण का मजबूत प्राईमाफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय द्वाति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के जायन्दा पुत्र, पुत्री, (पत्नी) विविध वारिसान उत्तराधिकारीगण हैं उक्त वर्णित कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी सं. 2 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 का स्व. गुलाबसिंह का दत्तक पुत्र (गोदपुत्र) विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने से हक अधिकार होकर हिस्सा है, अर्थात् उक्त कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 का 1/2 हिस्सा हैं। उक्त कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से प्रार्थीगण का विपक्षी सं. 1 के हक हिस्से की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में हक स्वत्व अधिकार होकर हिस्सा है, प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, विपक्षी सं. 1 व 2 लोभ व लालच की भावना से वसीभूत हो भू माफियाओं के सम्पर्क में हो, मिलीभगत कर एव ंहम प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से हमेशा के लिए महरूम रख हम प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में हक स्वत्व अधिकार खत्म करने, रंज व नुकसान पहुंचाने कि नियत से उक्त कृषि भूमि को अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय रहन बैह बक्षीस एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुद कर हम प्रार्थीण के हितों पर कुठाराघात करने पर उतारू हैं, जबकि हम प्रार्थीगण का विपक्षी सं. 1 के हक हिस्से की कृषि भूमि में विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से हक हिस्सा बनता है, विपक्षीगण को उक्त कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण का हक स्वत्व खत्म करने तथा उक्त कृषि भूमि को किसी रहन विक्रय बैह बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने का ही कोई विधिक अधिकार नहीं हैं, उक्त कृषि भूमि हम प्रार्थीगण की आजीविका का साधन है, यदि विपक्षीगण भूमाफियाओं से मिलीभगत कर उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को विक्रय रहन बैह बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे तो हम प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जावेगे व हम प्रार्थीगण के हितों पर भारी कुठाराघात होगा एव ंहम प्रार्थीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, हितों की रक्षा के लिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 28.08.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने उक्त कृषि भूमि अन्य अजनबी व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:21 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 व 2 उक्त वर्णित कृषि भूमि जिसमें प्रार्थीगण का विपक्षी सं. 1 के जायन्दा पुत्र, पुत्री, पत्नी विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से हक हिस्सा है, तथा हम प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, विपक्षीगण सं. 1 व 2 उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रयय रहन बैह बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुद नहीं करे, विपक्षी सं. 1 हम प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में हक स्वत्व अधिकार खत्म नहीं करे,, तथा हम प्रार्थीगण को डक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से वंचित नहीं करें, न बेदखल करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, या अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से नहीं करावें, विपक्षीगण रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञ प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण जारी फरमाई जावें।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 3 से 4 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला*— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 2 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 2 खातेदार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्व टी.आई नही दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 2 है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:21 IST
Reason: SelfAttested

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 2 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 2 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। भूमि में खातेदार विपक्षी सं. 2 द्वारा प्रार्थीगण के पिता को गोद लेने का कथन किया है उसी की हैसियत से प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार से सम्बन्धित मूल वाद में तय होगें। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 2 खातेदार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(कपिल कुमार कोठारी)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:21 IST
Reason: SelfAttested